20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES
10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

323

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 4054-I-16

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला—टीकमगढ़

1— चिन्टे पुत्र श्री दम्मे बुनकर
2— रामलाल पुत्र श्री कुरे बुनकर
निवासीगण—वार्ड नं. 1, बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1— पप्पू पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह यादव
2— जगदीश पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह यादव
3— सुरेन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह यादव
4— रामाबाई बेवा राजेन्द्र सिंह यादव
निवासीगण — बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

29-11-16

622
29-11-16

29/11/16

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के प्रकरण क्रमांक 9/सी—129/2015—16 में पारित आदेश दिनांक 20.10.2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

(1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, आवेदकगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के न्यायालय एक आवेदन इस आशय से प्रस्तुत किया। कि भूमि खसरा नं. 498 एवं 499 रकवा क्रमश 0.304, 0.134 है0 में 1/2 हिस्सा विक्रेता राजेन्द्र सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव से आवेदकगण द्वारा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। तब से उनका निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। उनके द्वारा विक्रय पत्र के आधार विक्रेता के स्थान पर क्रेतागण का नाम अभिलेख में दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का को आवेदन दिया गया था। जिसपर पटवारी द्वारा दिनांक 09.08.1995 से नामान्तरण पंजी क्रमांक 95 पर विक्रेता राजेन्द्र सिंह पुत्र पूरन सिंह यादव के स्थान पर क्रेतागण चिन्टे पुत्र दम्मे बुनकर एवं रामलाल पुत्र कुरे बुनकर का नाम अभिलेख में दर्ज करने की अनुमति दी

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

**प्रकरण क्रमांक- निग.- 4054-एक/2016** जिला-टीकमगढ़

चिन्टे व अन्य विरूद्ध पप्पू आदि

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 11-01-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बन्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 9/सी-129/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 20-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।<br>3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –<br>''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''<br>4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा | |

11.01.19

ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य